2023-2024

किरोड़ीमल महाविद्यालय छात्रावास
KIRORI MAL COLLEGE HOSTEL

सूचना पत्रिका
Handbook of Information

University of Delhi | दिल्ली विश्वविद्यालय

प्रो. दिनेश खट्टर
प्राचार्य

प्राचार्य का संदेश

FROM THE DESK OF PRINCIPAL

It is with immense pleasure and a sense of belonging that I extend my warm greetings to each one of you. As the Principal of this esteemed institution, I take immense pride in welcoming you to our college hostel, which is not just a place of residence but a home away from home. Kirori Mal College has always been committed to fostering a holistic environment that nurtures academic excellence, personal growth, and character development. The hostel plays a crucial role in this journey, as it provides a unique opportunity for diverse individuals to come together, share experiences, and build lasting friendships. As you embark on this new chapter of your life, I must emphasize that our college has a zero-tolerance policy towards ragging or any form of harassment and encourage you to embrace the values of respect, cooperation, and inclusivity. Our hostel is a microcosm of the larger world, and by learning to appreciate each other's differences, we create an enriching community where everyone feels valued and heard. I must emphasize that along with the freedom that hostel life offers, there comes a responsibility to maintain discipline, and prioritize your studies. Balancing academics and extracurricular activities are essential for holistic development. Remember, your warden and resident staff are here to support and guide you throughout your stay. Do not hesitate to approach them whenever needed. I have no doubt that your time at Kirori Mal College Hostel will be transformative and leave you with cherished memories. Embrace every opportunity, learn from each experience, and contribute positively to the hostel and college community.

अत्यंत हर्ष और अपनत्व की भावना के साथ मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। इस प्रतिष्ठित संस्थान के प्राचार्य के रूप में, हमारे महाविद्यालय छात्रावास में आपका स्वागत करते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है, जो कि मात्र एक निवास स्थान नहीं अपितु घर से दूर एक घर है। किरोड़ीमल महाविद्यालय सदैव समग्र वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रहा है जो अकादमिक उत्कृष्टता, व्यक्तित्व विकास और चारित्रिक विकास को बढ़ावा देता है। छात्रावास इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह विविध क्षेत्रों से व्यक्तियों के एक साथ आने, अनुभव साझा करने और चिर स्थायी मित्रता बनाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। जैसे आप अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, मुझे इस बात पर जोर देना चाहिए कि हमारे महाविद्यालय में रैगिंग या किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति है, और आपको सम्मान, सहयोग और समावेशिता के मूल्यों को अपनाने के लिए महाविद्यालय सदैव प्रोत्साहित करता है। हमारा छात्रावास स्थूल जगत का एक सूक्ष्म संसार है और एक-दूसरे के मतभेदों का मान रखना सीखते हुए हम एक समृद्ध समुदाय बनाते हैं जहाँ सभी की बात सुनी जाती है और सभी अपने महत्व व मूल्यों को महसूस करते हैं। मुझे इस बात पर जोर देना चाहिए कि छात्रावास जीवन में मिलने वाली स्वतंत्रता के साथ-साथ अनुशासन बनाए रखने, नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी भी आती है। सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक और पाठ्येतर गतिविधियों में संतुलन आवश्यक है। याद रखें, आपके वार्डन एवं निवासी कर्मचारी यहाँ आपके निवास के दौरान आपका समर्थन और मार्गदर्शन करने के लिए हैं। जब भी आवश्यकता हो उनसे संपर्क करने में संकोच न करें। मुझे कोई संदेह नहीं है कि किरोड़ीमल महाविद्यालय छात्रावास में आपका समय परिवर्तनकारी होगा और आपके लिए सुखद क्षणों और सुनहरी यादों का सृजन करेगा। हर अवसर को स्वीकार करें, प्रत्येक अनुभव से सीखें तथा छात्रावास और महाविद्यालय में सकारात्मक योगदान दें।

प्रो. सुभाष कुमार सिंह
छात्रावास वार्डन

वार्डन / संरक्षक का संदेश

FEOM THE DESK OF WARDEN

शैक्षणिक और सामाजिक जीवन की बुनियादी बारीकियों को सीखने के लिए छात्रावास एक सर्वोत्तम स्थान है जो आपको भाईचारा, एकता, सहयोग, राष्ट्रवाद, लोकतांत्रिक एवं सामाजिक मूल्यों के मूल विचारों की और अग्रसारित करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय परिवार में छात्र के रूप में मेरी शैक्षणिक यात्रा सेंट स्टीफेंस महाविद्यालय से प्रारंभ होकर मानसरोवर छात्रावास के अध्यक्ष पद के पश्चात् किरोड़ीमल महाविद्यालय में शिक्षक और अब यहीं छात्रावास संरक्षक की शानदार रही है। किरोड़ीमल महाविद्यालय छात्रावास के संरक्षक के रूप में, मुझे प्रशासक की अपेक्षा छात्रों के अभिभावक के रूप में याद किया जाना अच्छा लगेगा, क्योंकि संरक्षक का दायित्व ही यही होता है। मुझे उम्मीद है कि हमारे छात्र प्रतिभाशाली शिक्षाविद् एवं सर्वोत्तम प्रशासनिक पदों पर कार्यरत रहते हुए अपनी मातृभूमि के लिए एक उत्कृष्ट नागरिक सिद्ध होंगे और सभी छात्र जीवनपर्यन्त अपने महाविद्यालय एवं छात्रावास से संबंद्ध रहेंगे। मैं आप सभी के शानदार सफल एवं भावी जीवन की मंगल कामना करता हूँ।

Hostels have been a wonderful place to learn basic nuances of academic and social lives that leads you to the understanding of the core ideas of brotherhood, unity, cooperation, nationalism, democratic and social values. My own academic journey as a student of St. Stephen’s College, University of Delhi had started with a first-hand exposure to the hostel life as a resident of one of the most popular Post Graduate hostels, Mansarovar Hostel, by fulfilling the responsibilities such as student President of that hostel, Teacher and now as Warden, and it has been a glorious journey since then. As Warden of KMC Hostel, I would love to be remembered as a guardian of residents/students rather than an administrator. I expect my students to be brilliant academicians, good family members and outstanding citizens of our motherland Bharat. I anticipate that they will be fully dedicated and disciplined throughout life. I wish you all a wonderful career ahead.

किरोड़ीमल महाविद्यालय छात्रावास
KIRORI MAL COLLEGE HOSTEL

किरोड़ीमल महाविद्यालय एक अग्रणी संस्थान है। यहाँ उच्च योग्यता प्राप्त अकादमिक विद्वान विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करते हैं। महाविद्यालय अकादमिकी, खेल-कूद और सह-शिक्षणेत्तर कार्यकलापों में अद्वितीय प्रदर्शनों के लिए विख्यात है। किरोड़ी मल महाविद्यालय छात्रावास में रहकर ऐसी कई विख्यात हस्तियों और विशिष्ट या गणमान्य व्यक्तियों ने शिक्षा प्राप्त की है. जिन्होंने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह किया है। ऐसी हस्तियों में श्री अमिताभ बच्चन, श्री नवीन पटनायक श्री कुलभूषण खरबंदा, श्री सुशांत सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। यह छात्रावास महाविद्यालय भवन और बड़े खेलकूद परिसर के बीच महाविद्यालय परिसर में स्थित है। यह एक विशाल संरचना है। हाल ही में इसका जीर्णोद्धार कर इसे 185 विद्यार्थियों के रहने लायक बनाया गया है। छात्रावास में विभिन्न खंड हैं, जैसे रसोईघर (किचन), भोजन कक्ष, कॉमन रूम, वाचनालय(रीडिंग रूम), छात्रावास कार्यालय और छात्रावास वार्डन कार्यालय। पूरा छात्रावास परिसर वाई-फाई और इंटरनेट सुविधा से सुसज्जित है। और तो और, छात्रावास अपने निवासियों को 24X7 सुरक्षा उपलब्ध कराता है। उसके लिए छात्रावास के सामान्य क्षेत्रों में सी.सी. टी.वी. कैमरे संस्थापित हैं। इसके साथ छात्रावास में पाईपलाईन प्राकृतिक गैस (पी.एन.जी.) सुविधा भी उपलब्ध है जो सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल है।
छात्रावास अकादमिक उत्कृष्टता के लिए वातावरण को प्रोत्साहित करने के अपने मूल उद्देश्य को और व्यापक करने के साथ-साथ प्रतिभा के विकसित होने के लिए उपयुक्त माहौल उपलब्ध कराता है। यह सांस्कृतिक और खेल-कूद गतिविधियों के माध्यम से स्वस्थ वातावरण के सृजन का प्रयास करता है। प्रत्येक अन्तेवासी को इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह विद्यार्थियों में संगठनात्मक क्षमता, स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धात्मक भावना और लगाव की भावना का विकास करता है जो समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में उनके लिए सहायक होता है। छात्रावास पारस्परिक समझ, गर्मजोशी से ओत-प्रोत मैत्री और सहजशीलता के वातावरण का निर्माण करने के कार्य में सजग रूप से लगा हुआ है। इस प्रकार यह इन मूल्यों को आत्मसात करने में अन्तेवासियों के लिए अवसर प्रदान कर रहा है।

प्राचार्य छात्रावास के संरक्षक हैं। छात्रावास के आंतरिक प्रशासन और रोजमर्रा के अनुशासन की देख-रेख पूर्णकालिक अन्तेवासी वार्डन द्वारा की जाती है। उनका सहयोग छात्रावास प्रवेश समिति करती है।

Kirori Mal College is a premier institution with highly qualified academicians, imparting education in diverse fields. The College enjoys a reputation for exceptional performances in academics, sports and co-curricular activities. Similarly, Kirori Mal College Hostel has been a home to various celebrities and dignitaries who have played important roles at national and international levels such as Shri Amitabh Bachchan, Shri Naveen Patnaik, Shri Kulbhushan Kharbanda, Shri Sushant Singh etc. The Hostel is situated within the college campus between the college building and large sports complex. It is a spacious structure, recently renovated, to accommodate 185 students. The Hostel has various sections such as Kitchen, Dining Hall, Common Room, Reading Room, Hostel Office, and Hostel Warden Office. Entire hostel campus is Wi-Fi enabled and has access to internet facility. Moreover, hostel provides security to its residents 24 X 7 with the assistance of CCTV cameras installed in the common areas of the hostel. Furthermore, hostel has the Pipelined Natural Gas (P.N.G.) facility which is safe and environment friendly.

While furthering its basic aim of promoting an atmosphere for academic excellence, the Hostel provides the ambience for talent to grow. It seeks to create a healthy environment through

cultural and sports activities. Every resident is encouraged to take advantage of these facilities. It develops organizational abilities, healthy competitive spirit and a sense of belongingness among the students that helps them to play a useful role in the society. The Hostel is consciously engaged in the task of building an environment of mutual understanding, warm friendship and tolerance, thus providing an opportunity for the residents to imbibe these values.

The principal is the Patron of the Hostel. The internal administration and day-to-day discipline of the Hostel is looked after by a full-time resident warden. He is aided by Hostel Admissions Committee.

प्रवेश / पुनर्प्रवेश के लिए नियम और प्रक्रिया

RULES AND PROCEDURE FOR ADMISSION / READMISSION

छात्रावास में प्रवेश अकादमिक मेधा के आधार पर दिया जाता है। दिल्ली के निवासियों को छात्रावास सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। केवल वही विद्यार्थी प्रवेश के योग्य होते हैं जिनके माता-पिता करोड़ी मल महाविद्यालय की 40 किलोमीटर त्रिज्या के भीतर नहीं रह रहे हैं। दिल्ली सैटेलाइट नगरों अर्थात फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, लोनी, कुंडली, गाजियाबाद, बहादुरगढ़, सोनीपत आदि से आने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा। छात्रावास में प्रवेश पर महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किसी विद्यार्थी या पूर्ववर्ती वर्षों में अन्तेवासी रह चुके विद्यार्थियों द्वारा भी अधिकार के मामले के रूप में दावा नहीं किया जा सकता।

1. प्रथम वर्ष के स्नातक विद्यार्थी जो छात्रावास के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार सभी पहलुओं से विधिवत भरा हुआ विहित आवेदन पत्र छात्रावास कार्यालय में जमा करना अपेक्षित है। आवेदन पत्र जमा करने की तिथि को केवल असाधारण परिस्थिति में और प्राचार्य एवं वार्डन की पूर्व अनुमति से ही सभी आवेदकों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। आवेदक को व्यक्तिगत संवाद के लिए सभी मूल प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत तौर पर छात्रावास प्रवेश समिति के सामने उपस्थित होना अपेक्षित है। व्यक्तिगत संवाद वार्डन कार्यालय में होगा। चयनित विद्यार्थियों की सूची छात्रावास के सूचना पटल पर अधिसूचित की जाएगी। चयनित विद्यार्थियों को दी गयी तिथि और समय पर छात्रावास शुल्क जमा करना होगा। इसमें विफल रहने पर प्रवेश का प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा।
2. प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, छात्रावास में प्रवेश के लिए केवल उन्हीं अंकों पर विचार किया जाएगा जिन अंकों के आधार पर महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित किया गया है।
3. सीटों का एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, खिलाड़ियों, विदेशी विद्यार्थियों आदि) के लिए उपलब्ध रहेगा। इसका निर्धारण विश्वविद्यालय और महाविद्यालय /विश्वविद्यालय के अन्य समुचित निकायों और छात्रावास प्रवेश समिति द्वारा समय-समय पर किया जाएगा। वर्तमान में विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार आरक्षण का प्रतिशत निम्नलिखित है:- अनुसूचित जाति – 15%, अनुसूचित जनजाति – 7.5%, दिव्यांग -5%, खेल-कूद – 1% विदेशी विद्यार्थी एवं अन्य के लिए विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप। एक सीट प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के लिए आवंटित की जाएगी। एक सीट सिक्किम सरकार द्वारा नामांकित और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा विधिवत अग्रेषित सिक्किम के छात्रों को आवंटित की जा सकती है।

4. सीटें उपलब्ध होने पर, अपने अध्ययन पाठ्यक्रमों के दूसरे और तीसरे वर्ष के कुछ गैर आवासीय (डे स्कॉलर्स) विद्यार्थियों पर छात्रावास प्रवेश के लिए विचार किया जा सकता है। ऐसे विचारण के लिए न्यूनतम योग्यता अंक मानविकी के लिए 7.0 सीजीपीए और विज्ञान और वाणिज्य विषयों के लिए 7.5 सीजीपीए है।
5. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में कुछ सीटें उपलब्ध हैं और यह किरोड़ी मल महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त सभी स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए है। प्रत्येक प्रोग्राम/विभाग के लिए केवल एक सीटें आवंटित की जाएंगी।
6. यदि किसी भी समय पाया जाता है कि विद्यार्थी ने गलत सूचना (जाली अंक पत्र / दस्तावेज) देकर या छात्रावास / महाविद्यालय प्रवेश नियमों के संबंध में किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाकर छात्रावास में प्रवेश सुनिश्चित किया है तो उसका प्रवेश तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। यदि किसी अन्तेवासी को माता-पिता / स्थानीय अभिभावक के हस्ताक्षर स्वयं करते पाया जाता है तो उसे छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा।

Admission to the Hostel is given on the basis of the academic merit. Residents of Delhi will not be provided the hostel. Only those students who do not have their parents residing within the radius of 40 kilometres of the Kirori Mal College are eligible for admission. Students coming from Delhi statellite towns i.e., Faridabad, Gurugram, Noida, Loni, Kundli, Ghaziabad, Bahadurgarh, Sonipat etc. will not be considered for admission. Admission to the Hostel cannot be claimed as a matter of right by any student admitted to the College or even by those who have been residents in the preceding years.

1. 1st year undergraduate students who wish to apply for the hostel, are required to submit the prescribed application form duly completed in all respects to the Hostel Office as per the Admission Schedule. Only under exceptional circumstance and with the prior permission of the Principal and the Warden, the date for submission of the application forms will be extended for all applicants. They are required to appear before the Hostel Admission Committee in person with all the original certificates and documents for a personal interaction which will be held in the Warden's office. The list of the selected students will be notified on the notice board of the hostel. The selected students will be required to deposit the hostel fees by the given date and time, failing which the offer of admission will stand, cancelled.
2. For 1st year students, the marks on which the admission has been secured in the College will only be considered for admission into the hostel.
3. The percentage of seats available for the reserved categories (SC/ST, Physically Challenged, Sports persons, Foreign students, etc.) is as per the University and College rules. At present the reservations is as follows: - SC-15%, ST-7.5%, PwBD-5%, Sports-1%, foreign students and others as per the University rules. One seats will be allotted to Prime Minister's scholarship scheme. One seat may be allotted to student belonging to Sikkimese Students nominated by Govt. Of Sikkim and duly forwarded by Vice-Chancellor, Delhi University.
4. Subjects to the availability of seats, a few day scholars in the 2nd and 3rd year of their courses of study may be considered for hostel admission. The minimum qualifying marks for such consideration remain, 7.0 CGPA for Humanities and 7.5 CGPA for Science and Commerce subjects.
5. Seats in Post-Graduate Previous Course will be given on the basis of CUET(PG) obtained score seats will be allotted(s) to each programme/department.
6. If it is found at any point of time that a student has secured admission to the Hostel by furnishing wrong information (forged mark-sheets/documents, etc.) or by concealment of any relevant information regarding hostel/college admission rules, his admission will be

cancelled forthwith. If any resident is found to be forging Parent's/local guardian's signature, he shall be expelled from the hostel.

पुनर्प्रवेश
READMISSION

i. पूर्ववर्ती वर्ष के सभी अन्तेवासियों जिन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत किया गया है, के लिए पुनर्प्रवेश प्राप्त करना अपेक्षित है।

ii. उन्हें महाविद्यालय पुनः खुलने के दस दिनों के भीतर या उनके विश्वविद्यालय परिणामों की घोषणा के पश्चात् तुरंत जो भी पहले हो आवेदन करना चाहिए। ऐसा करने में विफल रहने पर छात्रावास में प्रवेश के लिए उनका दावा कायम नहीं रह जाएगा।

iii. उन्हें पुनप्रवेश के लिए नया आवेदन पत्र भरना होगा और दस्तावेजों की जांच के लिए छात्रावास प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं भी उपस्थित होना होगा।

iv. कमरा आवंटन के पूर्व उन्हें भुगतान कार्यक्रम के अनुसार वर्तमान वर्ष के पूर्व छात्रावास शुल्क का भुगतान करना होगा।

v. द्वितीय वर्ष / तृतीय वर्ष में छात्रावास में पुनप्रवेश के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवश्यक न्यूनतम सीजीपीए निम्नलिखित हैं-

(i) सभी विज्ञान और वाणिज्य पाठ्यक्रमों - 7.5 सीजीपीए

(ii) सभी कला पाठ्यक्रम 7.0 सीजीपीए

vi. 0.5 सीजीपीए की छूट खेल-कूद / अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांग / विदेशी कोटा के आधार पर प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को दी जा सकती है। ऐसे किसी विद्यार्थी, जिसने स्पष्ट रूप से पास स्थिति सुनिश्चित नहीं किया है या उसे उपस्थिति में कमी अथवा उसके विरूद्ध किसी अनुशासनिक कार्यवाही के कारण उसी कक्षा में रोक दिया गया है, को छात्रावास में द्वितीय या तृतीय वर्ष में पुनप्रवेश नहीं दिया जाएगा।

vii. द्वितीय वर्ष में छात्रावास में पुनर्प्रवेश हेतु पहले और दूसरे सेमेस्टर के औसत तथा तीसरे वर्ष में छात्रावास में पुनर्प्रवेश हेतु तीसरे और चौथे सेमेस्टर के औसत की गणना की जाएगी।

viii. यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी स्नातक पाठ्यक्रम में छात्रावास सीट के लिए आवेदकों के सीयूईटी स्कोर अंकों के मिलान के मामले में, अवरोही क्रम में, निम्नलिखित अधिमान्य क्रम का पालन किया जाना चाहिए:

   क. 12वीं कक्षा का परिणाम प्रतिशत।
   ख. 10वीं कक्षा का परिणाम प्रतिशत।
   ग. किरोड़ीमल महाविद्यालय छात्रावास और आवेदक के मूल स्थान के बीच की दूरी।
   घ. आवादक की जन्म तिथि।

ix. महाविद्यालय में अध्ययन के किसी उत्तरवर्ती वर्ष में छात्रावास में पुनप्रवेश से इंकार कर दिया जा सकता है यदि :

क. अन्तेवासी / विद्यार्थी फेल कर गया हो, उसे "आवश्यक दोहराव" आने या उपस्थिति में कमी के कारण उसी कक्षा में रोक दिया गया हो।

ख. उसके विरूद्ध किसी लोप कृत्य, छात्रावास नियमों के उल्लंघन, छात्रावास अनुशासन के उल्लंघन, प्रचंड बर्बरतापूर्ण कृत्य, जानबूझकर शरारत करने या छात्रावास शुल्क जानबूझकर समय पर भुगतान नहीं करने के लिए उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अभिलेख है।

i. All the previous year residents, who have been promoted to the next class, are required to seek readmission.

ii. They should apply within ten days of the reopening of the College or immediately after declaration of their University results, whichever is later, failing which they will forfeit their claim for admission to the Hostel.

iii. They are required to fill up a fresh application form for readmission and also present himself for verification of documents before the Hostel Admission Committee.

iv. For readmission to the Hostel in 2nd year / 3rd year, the minimum CGPA required for different courses are as follows:

   i. All Science and Commerce Courses - 7.5 CGPA

   ii. All Arts Courses - 7.0 CGPA

v. A relaxation of 0.5 in CGPA may be given to students admitted on the basis of Sports/SC/ST/PwBD/Foreign students quota. Any Student who has not secured clear pass position i.e., has E.R. in any paper or has been detained because of shortage of attendance or any disciplinary action taken against him will not be readmitted in 2nd or 3rd year in the hostel.

vi. For readmission to Hostel in 2nd Year, the average of 1st & 2nd semester and for 3rd year, the average of 3rd & 4th semester shall be calculated.

vii. It was also decided that in case of a tally of CUET score marks of applicants for a hostel seat in any undergraduate course, the following preferential order should be followed in the descending order:

   a. Percentage of 12th class result.
   b. Percentage of 10th class result.
   c. Aerial distance between Kirori Mal College Hostel and the native place of the applicant.
   d. Date of birth of the applicant.

.

viii. Readmission to the Hostel may be denied in any subsequent year of study in the College if

  i. the resident/ student has failed, got "Essential Repeat", dropped out or has been detained because of shortage of attendance.
  ii. There is a record of disciplinary action against him for any act of omission, violation of the Hostel Rules, breach of Hostel discipline, act of wanton vandalism, deliberate mischief or non-payment of Hostel dues on time.

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

Documents to be attached with the application form

1. सी.यू.ई.टी (स्नातक/स्नातकोत्तर) स्कोर कार्ड (स्व सत्यापित फोटोप्रति)
2. महाविद्यालय शुल्क पावती (स्व सत्यापित फोटोप्रति)
3. पास की गयी विगत परीक्षा का अंक पत्र (स्व सत्यापित फोटोप्रति)
4. चरित्र प्रमाण पत्र (सत्यापित फोटोप्रति)
5. जाति प्रमाण पत्र (स्व सत्यापित फोटोप्रति)
6. स्थायी पते का प्रमाण (आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / राशन कार्ड / पासपोर्ट)
7. स्थानीय अभिभावक के आवासीय पते का प्रमाण अर्थात् निम्नलिखित में से किसी एक की स्व सत्यापित फोटोप्रति मतदाता पहचान पत्र/ पैन कार्ड/पासपोर्ट/ ड्राईविंग लाइसेंस, तथा सत्यापित फोटोग्राफ की एक प्रति।
   Note: स्थानीय अभिभावक का नाम एवं पता छात्र के माता-पिता / अभिभावक के द्वारा अग्रसारित किया जाना अनिवार्य है।

1. C.U.E.T (UG/PG) Score card (self-attested photocopy)
2. College fee receipt (self-attested photocopy)
3. Mark sheet of last examination passed (self-attested photocopy)
4. Character Certificate (attested photocopy)
5. Caste Certificate (self-attested photocopy)
6. Permanent Residence Proof (Aadhar Card / Voter ID Card / Ration Card / Passport)

7. Proof of local guardian's residential address, i.e., self-attested photocopy of anyone of the following Voter I-Card/PAN Card/ Passport / Driving License, and one copy of attested photograph.

***Note:** Name and Address of local guardian must be forwarded by parents/guardian of the students.

छात्रावास सुविधाएँ
HOSTEL FACILITIES

छात्रावास मेस

छात्रावास में उत्कृष्ट मेस सुविधाएँ उपलब्ध हैं व भोजन की उच्चतम गुणवत्ता है। मेस का संचालन अन्तेवासियों से बनी मेस समिति के माध्यम से एवं छात्रावास वार्डन के समग्र निरीक्षण में 'न लाभ न हानि' आधार पर किया जाता है। स्वैच्छिक निकाय होने के कारण इसका मूल कार्य सभी अन्तेवासियों को स्वच्छ वातावरण में सर्वोत्तम भोजन उपलब्ध कराना हैं। किसी आकस्मिक परिस्थिति में छात्रावास प्रशासन विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए सदा उपलब्ध रहता है। छात्रावास मेस के कार्यक्रम में किसी बड़े परिवर्तन का निर्धारण सदा वार्डन के संयोजन के अधीन समुचित विचार-विमर्श द्वारा किया जाएगा। मेस के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित मानदंडों का स्पष्ट रूप से पालन करना होगा।

(i) सभी अन्तेवासियों के लिए मेस समिति द्वारा निर्धारित घंटों के दौरान भोजन कक्ष में अपना भोजन ग्रहण करना आवश्यक है। छात्रावास के प्रत्येक अन्तेवासी के लिए मेस की सदस्यता अनिवार्य है।

(ii) भोजन, बीमारी के मामले के सिवाय, भोजन कक्ष के बाहर नहीं परोसा जाएगा। किसी भी स्थिति में बर्तनों को रसोई भोजन कक्ष परिसर के बाहर नहीं ले जाया जाएगा।

छात्रावास वाचनालय

अन्तेवासियों के लिए यह सुविधा इस छात्रावास में एक आयाम स्थापित करता है। पत्रिकाओं, पत्र-पत्रिकाओं और अखबारों की बड़ी संख्या अन्तेवासियों के लिए इस सुविधा को सर्वथा एक नया अनुभव बना देती है।

छात्रावास संघ

छात्रावास में एक छात्र संघ है जो प्रेसिडेंट, महासचिव, सांस्कृतिक सचिव, मेस सचिवों, कॉमन रूम सचिव तथा स्वास्थ्य और स्वच्छता सचिव से मिलकर बना है। इसी संघ का मूल उद्देश्य छात्रावास के आकादमिक, सांस्कृतिक और सह-शिक्षणेत्तर वातावरण को बढ़ावा देना है। विभिन्न कार्यों के लिए वार्षिक बजट का निर्धारण वार्डन की अध्यक्षता में संघ की औपचारिक बैठक में किया जाएगा। छात्रावास की सभी गतिविधियाँ स्वैच्छिक हैं और किसी छात्र या छात्र समूह द्वारा बल प्रयोग या धमकाने को छात्रावास मानदंडों और अनुशासन के घोर उल्लंघन का मामला माना जाएगा। छात्रावास का

दृढ़ विश्वास है कि बल या बाध्यता का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। अन्तेवासियों द्वारा छात्रावास पत्रिका भी निकाली जाती है।

चिकित्सा

महाविद्यालय के विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्र के अनिवार्य सदस्य हैं। एक चिकित्सा बॉक्स और प्राथमिक उपचार किट छात्रावास में उपलब्ध रहता है।

बैंकिग

महाविद्यालय परिसर में पंजाब नेशनल बैंक है जहाँ विद्यार्थी अपना खाता खोल सकते हैं और बैंक द्वारा प्रदान की गयी विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

कॉमन रूम

छात्रावास का कॉमन रूम वर्तमान में पूरी तरह नवसंरचित दिखता है। सभी फर्नीचर पूरी तरह नए रूप में हाल ही में रखे गए हैं। टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड की सुविधाओं के साथ टेलीविजन देखने की सुविधा अन्तेवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप इसे एक नया स्वरूप प्रदान करती है। यद्यपि यह अन्तेवासियों की जिम्मेदारी है कि वे कॉमन रूम सचिव के माध्यम से कॉमन रूम को स्वच्छ रखें। कॉमन रूम का समय सुबह 6.00 बजे से 9.00 बजे तक और शाम 2.00 बजे से रात 11.30 बजे तक है।

HOSTEL MESS:

The Hostel has excellent mess facilities, quality of food. The mess is run on a no profit-no loss basis through a Mess Committee consisting of the residents and under overall supervision of the Hostel Warden. Being a voluntary body, its basic function is to provide best possible food under hygienic conditions to all the residents. In case of any emergency, the Hostel administration is always there to assist the students. Any major change in the functioning of the hostel mess shall always be decided by proper deliberations under warden’s convenorship. In connection with the functioning of the mess the following norms have to be duly observed:

(i) All residents are required to take their meals in the dining hall during the hours fixed by the Mess Committee. Membership to the mess is compulsory for every resident of the Hostel.

(ii) Meals will not be served outside the dining hall except in the case of illness. In no case, utensils will be taken out of the Kitchen/Dining hall premises.

HOSTEL ASSOCIATION

The Hostel has a Students Association consisting of President, General Secretary, Cultural Secretary, Mess Secretaries, Sports Secretary and Health and Sanitation Secretary. The basic purpose of the association is to promote academic, cultural and co-curricular atmosphere of the hostel. The annual budget for various functions shall be decided in the formal meeting of the Association chaired by the warden. All hostel activities are voluntary and any element of coercion by an individual or group of students would be treated as a case of gross violation of hostel norms and discipline. The hostel firmly believes that force or compulsion has no place in a civil society. Hostel magazine is brought out by the hostellers.

MEDICAL

The students of the college are compulsorily members of the Health Centre, maintained by University of Delhi. A medical box and a First Aid Kit are maintained in the Hostel.

BANKING

There is a Branch of Punjab National Bank in the college premises, where students can open account and avail themselves of the various services offered by the bank.

COMMON ROOM

The Hostel Common room presently gives a completely renovated look. All furniture has been recently introduced in a completely new form. Facilities for table tennis, carron board along with television viewing, provides it a fresh new look suited to the basic needs and expectation of the residents. However, it is the responsibility of the residents to keep the common room neat and clean through Cultural secretary. The Common Room timing are from morning 6:00 a.m. to 9:00 a.m. & Evening from 2:00 p.m. to 11:30 p.m.

छात्रावास से दाखिला वापिस लेना

छात्रावास छोड़ने के इच्छुक अन्तेवासी के लिए वार्डन को लिखित अग्रिम सूचना देना आवश्यक है। उसे इस संबंध में वार्डन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अवश्य प्राप्त करना चाहिए। शीतकालीन अवकाश के पश्चात छात्रावास छोड़ने के मामलों में केवल मेस शुल्क और सुरक्षा जमा ही वापस किया जाएगा छात्रावास सुरक्षा जमा राशि कमरा खाली किए जाने के पश्चात् ही वापस की जाएगी। भुगतान विहित आवेदन पत्र पर किए गए अनुरोध की प्राप्ति के पश्चात् ही यह टूट-फूट और बकाया शुल्क यदि है तो, की लागत की कटौती किए जाने पर ही चेक के माध्यम से किया जाएगा। सुरक्षा राशि का दावा

छात्रावास छोड़ने के बाद एक वर्ष के भीतर ही करना होगा अन्यथा सुरक्षा राशि छात्रावास खाते में व्यपगत हो जाएगी। छोड़ने के मामले में वार्षिक शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। यद्यपि, मासिक शुल्क केवल उसी महीने, जिसमें छोड़ने की मांग की गयी है, तक का ही लिया जाएगा। इसकी गणना उस तिथि, जिस दिन प्रवेश वापसी के लिए वार्डन को आवेदन दिया गया है, से की जाती है।

ADMISSION WITHDRAWAL FROM HOSTEL

A resident who wishes to leave the Hostel is required to give advance notice in writing to the Warden. He must get a clearance certificate from the Warden in this regard. In case of withdrawal after winter vacation, only mess charges and security deposit will be refunded. The Hostel security deposits will be refundable only after the room has been vacated. The payment will be made through cheque only after receipt of a request on the prescribed application form and after deducting the cost of breakage and outstanding dues, if any. Security money has to be claimed within one year after leaving the Hostel; otherwise, the same will lapse to the Hostel's account. In case of withdrawal, the annual charges will not be refunded. However, monthly charges will be retained only up to the month in which withdrawal is sought. It is calculated from the date an application Is submitted to the Warden for withdrawal of admission.

2

KIRORI MAL COLLEGE HOSTEL

छात्रावास शुल्क

(i) प्रथम किश्त

क.	वार्षिक शुल्क		
	प्रवेश शुल्क		₹ 150/-
	क्रॉकरी शुल्क		₹ 100/-
	फर्नीचर		₹ 200/-
	कॉमन रूम		₹ 100/-
	उद्यान शुल्क		₹ 100/-
	संघ		₹ 50/-
	चिकित्सा		₹ 50/-
	पहचान पत्र		₹ 50/-
	कुल	=	**₹ 800/-**
ख.	छात्रावास विकास शुल्क		₹ 3000/-
ग.	छात्रावास सुरक्षा (प्रतिदेय)		₹ 500/-
घ.	मासिक शुल्क (निवासियों को जुलाई से दिसंबर तक ₹1000×6 यानी ₹ 6000/- का भुगतान करना होगा)		
	स्थापन		₹ 600/-
	भवन रख-रखाव		₹ 250/-
	कमरा किराया		₹ 50/-
	पंखा		₹ 50/-
	आकस्मिक		₹ 50/-
	कुल	=	**₹ 1000/-**

ड. मेस अग्रिम पहली किस्त 14000 रुपए (वास्तविक मेंस बिल के अनुसार सामायोज्य)

च. अन्तेवासियों का एन.डी.पी.एल. द्वारा छात्रावास को भेजे गए वास्तविक बिजली बिलों का भुगतान करना होगा। यद्यपि 5,000 रुपए का आरंभिक भुगतान प्रवेश के समय देय है और प्रत्येक वर्ष अप्रैल में अंतिम समायोजन के अधीन है।

पहली किस्त का भुगतान प्रवेश के समय वार्डन, किरोड़ी मल महाविद्यालय हॉस्टल, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007 के पक्ष में RTGS द्वारा करना होगा।

नया प्रवेश : क+ख+ग+घ+ङ+च = ₹ 29,300/-

पुनप्रवेश : क+ख+ग+घ+ङ+च = ₹ 28,800/-

(ii) शुल्क की दूसरी किस्त 15 जनवरी, 2023 तक देय है

(क) मासिक शुल्क (अन्तेवासियों को जनवरी 2023 से मई 2023 तक 1000 रू. 5 अर्थात 5000/- का भुगतान करना है)

स्थापन	₹ 600/-
भवर रख-रखाव	₹ 250/-
कमरा किराया	₹ 50/-
पंखा	₹ 50/-
आकस्मिक	₹ 50/-
कुल =	**₹ 1000/-**

(क) मेस अग्रिम दूसरी किस्त 14,000 रूपए (वास्तविक मेस बिल के अनुसार समायोज्य)

(ख) अन्तेवसियों को एन.डी.पी.एल. द्वारा छात्रावास को भेजे गए वास्तविक बिजली बिलों को भुगतान करना होगा। यद्यपि दूसरी किस्त के रूप में 4,000 रूपए का भुगतान किया जाना होगा।

शुल्क की दूसरी किस्त क ख ग 23,600 रूपए

नोट:

(i) छात्रावास शुल्क समय-समय पर बदलता रहता है।

(ii) मेस, बिजली और जल शुल्क वास्तविक समय के आधार पर परिवर्तनशील होंगे।

(iii) शुल्क भुगतान मोड़ को सेमेस्टर प्रणाली के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है।

प्रथम भाग (जुलाई 2023 से दिसम्बर 2023) I, III और V सेमेस्टर तथा

दूसरा भाग (जनवरी 2024 से मई 2024) II,IV और VI सेमेस्टर

(iv) मेस अग्रिम की गणना 2800 रूपए प्रतिमाह के औसत व्यय को मानकर की गयी है। इसमें फ्रेशर पार्टी, हॉस्टल नाईट, सोशल्स और अन्य समारोहों जैसे अवसर पर स्पेशल डिनर पर होने वाले व्यय शामिल नहीं है।

(v) विद्यार्थी को अंतिम परीक्षाओं से पूर्व छात्रावास व्ययों के पूरे बिलों का निपटान करना है और छात्रावास कार्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना है।

(vi) प्रत्येक अन्तेवासी को यह जिम्मेदारी है कि वह छात्रावास कार्यालय से भुगतान की पर्ची प्राप्त करें और निर्धारित तिथि तक बकाया राशि का भुगतान कर दे। यदि निर्धारित तिथि तक छात्रावास की किसी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तब पहले आधे माह के लिए 20 रुपए प्रति दिन और उसके बाद के आधे माह के लिए 50 रुपए प्रतिदिन का विलंब शुल्क लिया जाएगा। यदि एक अन्तेवासी वार्डन द्वारा निर्धारित की गयी तिथि के एक माह के भीतर अपनी बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो उस पर उसके छात्रावास सीट को रद्द करने सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। सुझाव दिया जाता है कि माता-पिता को सेमेस्टर छात्रावास बकाया शुल्क वार्डन, किरोड़ीमल महाविद्यालय छात्रावास दिल्ली के पक्ष में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से जमा कराना होगा।

- **A/C No.- 51522010003890 IFSC - PUNB051210 Branch - Kirori Mal College**

HOSTEL FREE

(i) 1ST Instalment

A. Annual Charges

Admission Fee		₹ 150/-
Crockery Charges		₹ 100/-
Furniture		₹ 200/-
Common Room		₹ 100/-
Garden Fee		₹ 100/-
Association		₹ 50/-
Medical		₹ 50/-
I-Card		₹ 50/-
Total	=	**₹ 800/-**

B. Hostel Development Charges ₹ 3000/-
C. Hostel Security (Refundable) ₹ 500/-
D. Monthly Charges (Residents have to pay ₹ 1000 × 6 from July to December i.e., ₹6000/-)

Establishment		₹ 600/-
Building Maintenance		₹ 250/-
Room Rent		₹ 50/-
Fan		₹ 50/-
Contingency		₹ 50/-
Total	=	**₹ 1000/-**

E. Mess Advance-1st Instalment- ₹ 14,000/- (Adjustable according to the actual Mess Bill)
F. The residents shall pay actual electricity bills sent by NDPL to the Hostel. However, an initial payment of Rs. 5000 (Rs. Five Thousand Only) is payable at the time of admission subject to the final adjustment in April every Year.

1st Instalment is to be made at the time of admission at the college after receiving the clearance from the warden.

Fresh Admission: A+B+C+D+E+ F = ₹29,300/-
Readmission: A+B+C+D+E+F= ₹28,800/-

(ii) 2nd Instalment Fee payable till 15th January 2024

A. Monthly Charges (Residents have to pay Rs. 1000 x 5 from January, 2023 i.e., ₹5000/-)

Establishment		₹ 600/-
Building Maintenance		₹ 250/-
Room Rent		₹ 50/-
Fan		₹ 50/-
Contingency		₹ 50/-
Total	**=**	**₹ 1000/-**

B. Mess Advance-2nd Instalment-Rs. 14000/- (Adjustable according to the actual Mess Bill)

C. C. The residents shall pay actual Electricity bills sent by NDPL to the Hostel. However, a payment of ₹ 4000/-as 2nd instalment is to be made.

2nd Instalment Fee=A+B+C=Rs 23,600/-

Note:

i. Hostel Charges may vary from time to time.

ii. Mess, Electricity and water charges shall vary on actual expenditure basis.

iii. Fee payment mode is divided into two terms on the basis of semester system

1st Term (July 2023 to Dec 2023) I, lll & V semester and
2nd term (Jan. 2024 to May 2024) II,IV & VI Semester.

iv. Mess advance has been calculated taking an average expenditure of ₹ 2800/- per month. This does not include expenses on special dinners on the occasions like Freshers Party, Hostel Night, socials and other functions

v. The student has to settle the complete bills of the hostel expenses before the final examinations and seek clearance from the hostel office.

vi. It is the responsibility of every resident to collect the pay in slip from the Hostel office and clear the dues by the stipulated date. If any Hostel dues remain unpaid by the stipulated date, a late fee of Rs 20 per day for the first fortnight and Rs. 50 per day for another fortnight shall be charged. If a resident fails to clear his dues within one month of the date fixed by the Warden, he will be liable to disciplinary action including cancellation of his Hostel seat. It is suggested that parents should send semester Hostel dues by RTGS directly to the Hostel Office account in the favour of the Warden Kirori Mal College Hostel, Delhi.

- **A/C No.- 51522010003890 IFSC - PUNB051210 Branch - Kirori Mal College**

आधार नियम और विनियम

सभी आवेदकों को नियम और विनियम सावधानी से पढ़ना चाहिए और उनका पालन करने का वचन देना चाहिए।

1. छात्रावास एक विशेष सुविधा और विशेषाधिकार है। प्रत्येक अन्तेवासी से आशा की जाती है कि यह विवेक सम्मत आचरण करें, गंभीरता से अपना अध्ययन जारी रखे और अपनी कक्षाओं में नियमित उपस्थिति रखें। ऐसा करने में विफल रहना छात्रावास मानदंडों और अनुशासन का उल्लंघन करना माना जाएगा।
2. छात्रावास के सभी प्रवेशियों को दो/तीन (डबल/ ट्रिपल) सीट वाला कमरा आवंटित किया जाता है। छात्रावास में एक सीट वाला कोई भी कमरा नहीं है।
3. विद्यार्थी को छात्रावास में अपने प्रवेश की तिथि के दो सप्ताह के भीतर छात्रावास में रहना प्रारंभ अवश्य कर देना चाहिए। कोई अन्तेवासी जो निर्धारित अवधि के भीतर आवंटित कमरे में रहना शुरू करने में विफल रहता है या अपने कमरे का कब्जा लेने के पश्चात एक माह से अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, तो छात्रावास का अन्तेवासी नहीं रहेगा।
4. यदि एक अन्तेवासी महाविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रम में परिवर्तन करता है तो उसे छात्रावास वार्डन को तत्काल ही अवश्य सूचित करना चाहिए और पुनर्प्रवेश के लिए नए सिरे से आवेदन करना चाहिए। अपना पाठ्यक्रम परिवर्तित करते ही उसका पूर्ववर्ती सीट आवंटन स्वतः ही रद्द हो जाता है। अन्य के साथ उसके नए पाठ्यक्रम के लिए उसके आवेदन पर नए सिरे से विचार किया जाएगा।
5. छात्रावास अन्तेवासी को वार्डन की लिखित पूर्वानुमति के बिना अपना कमरा या अपने कमरे के सहभागी को बदलने की अनुमति नहीं होती है।
6. प्रत्येक अन्तेवासी अपने कमरे में उपलब्ध कराए गए फर्नीचर और सुविधाओं के लिए जिम्मेदार होगा। किसी भी प्रकार की क्षति का वहन उसे करना होगा। अपने कमरे में नहीं रहने पर उसे बिजली कनेक्शनों को स्विच ऑफ अवश्य करके रखना चाहिए और उसे रूम-कूलर, हीटर या हीट केवेक्टर आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यद्यपि विशेष परिस्थितियों में अन्तेवासी को वार्डन की लिखित पूर्व अनुमति से भुगतान करके इनका इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है।
7. अन्तेवासियों से आशा की जाती है कि वे अपने कमरों तथा आस-पास के माहौल को साफ रखेंगे एवं दीवारों आदि को गंदा नहीं करेंगे। वे छात्रावास सम्पत्ति के किसी भी प्रकार के दुरूपयोग, क्षति या हानि के लिए जवाबदेह होगें।
8. छात्रावास में धूम्रपान पूरी तरह निषिद्ध है। छात्रावास में शराब पीना और किसी वर्जित दवा का सेवन करना पूरी तरह निषिद्ध हैं। इस विनियम का उल्लंघन करते पाए गए या दोषी पाए गए विद्यार्थी को छात्रावास तुरंत खाली करना होगा।
9. प्राचार्य/वार्डन या वार्डन द्वारा प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति किसी भी समय जब भी वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो किसी भी कमरे में प्रवेश करने का अधिकारी होगा। वह अन्तेवासी की अनुपस्थिति में भी किसी कमरे को खुलवा सकता है।
10. अपने कमरे में अप्राधिकृत अतिथि और आगंतुक को ठहराने की अनुमति किसी भी अन्तेवासी को नहीं है। ऐसा करना गंभीर दुर्व्यवहार माना जाएगा जिसके लिए छात्रावास से निष्कासित करने सहित अनुशासनिक कार्यवाही भी की जा सकती है। यद्यपि एक अन्तेवासी वार्डन की लिखित पूर्वानुमति से एक अतिथि को अधिकतम दो दिन

की अवधि तक अपने कमरे में ठहरा सकता है पर वही व्यक्ति उसके पश्चात किसी अन्य अन्तेवासी का अतिथि नहीं हो सकता है।

11. सभी अन्तेवासियों के लिए विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा पूरी होने के दो दिन के भीतर अपने कमरे को खाली करना अपेक्षित होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर वे अनुशासनिक कार्यवाही के भागी होंगे। उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे अपने कमरे और उसमें रखे फर्नीचर और और अन्य सुविधाओं का भार छात्रावास कार्यालय में समुचित रूप से सौंपने के पश्चात ही छात्रावास छोड़े। उन्हें अपने व्यक्तिगत सामान कमरे से अवश्य ही हटा लेना चाहिए और उसे अपने स्थानीय अभिभावक के पास रख देना चाहिए। यद्यपि उनके द्वारा अनुरोध किए जाने की स्थिति में उनके जोखिम पर उनके सामान को महाविद्यालय छात्रावास परिसर में रखने का कुछ प्रबंध किया जा सकता है। अनुपालन न किए जाने की स्थिति में प्राचार्य/वार्डन कमरे में रखे सामान को हटाने और कमरे में कार्यालय का ताला लगाने के लिए प्राधिकृत हैं। अन्तेवासियों को कमरे खाली करने की पर्ची जरूर प्राप्त करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर वे अनुशासनिक कार्यवाही के भागी होंगे तथा उन्हें अगले वर्ष छात्रावास में रहने की अनुमति उनके योग्य रहने के बावजूद नहीं दी जाएगी। इस पचों को पुनर्प्रवेश के समय पर्ची दिखाया जाना चाहिए एवं इसकी फोटोप्रति छात्रावास सुरक्षा राशि वापस किए जाने के दावे वाले फॉर्म के साथ लगानी होगी। कमरा खाली करने की पर्ची के बिना पुनर्प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. छोड़ने या जब्ती की स्थिति में वार्षिक शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अन्तेवासी, जो सूचना दिए बिना छात्रावास छोड़कर जाता है, उससे उस समयअवधि की समाप्ति तक देय कमरा किराया और अन्य शुल्क लिया जाएगा जिसमें छोड़ने का आवेदन किया गया है।
13. छात्रावास का कॉमन रूम रात्रि 11.30 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक बंद रहेगा। यद्यपि यह पहली अप्रैल से वार्षिक परीक्षाओं की समाप्ति तक रात्रि 9.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक बंद रहेगा। तत्पश्चात् यह अवकाश अवधि के दौरान बंद रहेगा।
14. विद्यार्थियों को प्रति दिन रात्रि 11.00 बजे तक छात्रावास में वापस लौट आना है।
15. विद्यार्थियों को एक भी दिन के लिए छात्रावास छोड़ने की स्थिति में छात्रावास प्रशासन को लिखित सूचना देनी होगी। विद्यार्थियों को छात्रावास में लौट आने की भी लिखित सूचना देनी होगी। छात्रावास कार्यालय को लिखित सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में चूक कर्ता विद्यार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
16. अन्तेवासी छात्रावास गलियारे में साइकिल, स्कूटर और मोटर साइकिल पर सवार होकर नहीं घूमेगे।
17. दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम के अध्यादेश XV-B और XV-C के अधीन किसी भी प्रकार की रैगिंग और रैगिंग के लिए बहकाना सख्ती से निषिद्ध है। यह घोर अनुशासनहीनता है जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा भी दंडनीय है। महाविद्यालय / विश्वविद्यालय के पुराने विद्यार्थियों को रैगिंग का दोषी पाए जाने पर उनकी डिग्री वापस लेने के लिए समुचित कार्यवाही की जाएगी।

Rules of Conduct and Regulations

All applicants should read the rules and regulations carefully and undertake to abide by them.

1. Hostel is a special facility and a privilege. Every resident is expected to conduct himself with discretion, pursue his studies sincerely and attend his classes regularly. Failure to do so shall be deemed as breaking hostel norms and discipline.
2. All entrants to the Hostel are allotted double/triple seated rooms. There are no single seater rooms in the Hostel.
3. A student must join the hostel within two weeks of the date of his admission to the Hostel. Any resident who fails to occupy the allotted room within the stipulated period or remains absent for more than a month after taking possession of his room shall cease to be a resident of the Hostel.
4. Hostel resident is not allowed to exchange his room or his room partner without the prior written permission of the warden.
5. Each resident will be responsible for the furniture and fixtures provided to him in his room. Damages if any shall be borne by him. He must switch off the electric connections when not in his room.
6. Residents are expected to keep their rooms and their surroundings tidy and not disfigure the walls etc. They are accountable for any misuse, damages, or loss of any hostel property.
7. Smoking is strictly prohibited in the Hostel. Consumption of liquor and of any contraband drug is strictly prohibited in the Hostel. Anyone found or reported guilty of contravening this regulation will be required to vacate the Hostel immediately.
8. The Principal/Warden or any person authorized by the warden has the right to enter any room at any time as and when he deems it necessary. He can get any room opened even in the absence of the resident.
9. No resident is allowed to have unauthorized guests and visitors in his room. It will be treated as a serious misconduct for which disciplinary action, including expulsion from the hostel, may be taken. However, a resident may keep a guest for a maximum period of two days with the prior written. Permission of the warden but the same person cannot be the guest of any other resident thereafter.
10. All residents are required to vacate their rooms within 2 days of completion of the annual university examinations, failing which they will be liable to disciplinary action. They are advised to leave the hostel only after properly handing over the charge of their rooms and the furniture and

fixtures therein to the hostel office. They must remove their personal belongings and keep them with their local guardians. However, at their request and risk, some arrangement can be made to keep their luggage in the college hostel premises. In case of non-compliance, the Principal/Warden is authorized to remove their belongings in the room if any, and put an official lock. Residents must collect a Room Vacation Slip, failing which they will be liable to disciplinary action and they would not be admitted to the Hostel in the next year even if otherwise eligible. The slip has to be produced at the time of readmission and its photocopy to be attached with the form claiming refund of the Hostel security amount. Readmission will not be considered without Room Vacation Slip.

11. In the case of withdrawal or forfeiture, the annual charges will not be refunded. Any resident who leaves the hostel without information will be charged the room rent and other charges up to the end of the term in which application for withdrawal is made.
12. The Hostel common room will remain closed between 11.30 p.m. and 6 a.m. However, it will remain closed between 9.00 p.m. and 8.00 am from 1st April till the completion of annual examinations. Thereafter, it will be closed during the vacation period.
13. Students have to report back to the hostel latest by 11 p.m. every day
14. Students have to inform in writing to the hostel administration even if they are leaving the hostel for a day. Students have to inform rejoining also in writing. In case, information in writing is not received by the hostel office, disciplinary action may be taken against the defaulter.
15. Residents shall not ride bicycles, scooters and motor cycles in the Hostel corridors.
16. Ragging in any form and abetment of ragging is strictly prohibited under ordinance XV- Ragging B and XV-C of Delhi University Act. It constitutes an act of gross indiscipline which is punishable by the college and the University. Strict actions as per rule will be taken against students found guilty of ragging.

छात्रवास प्रवेश समिति

संयोजक : प्रो. सुभाष कुमार सिंह (छात्रावास वार्डन)

सदस्य	Convener
1. प्रो. सुभाष कुमार सिंह (वार्डन)	Prof. Subhash Kumar Singh (Warden)
2. प्रो. राज कुमार	Prof Raj Kumar
3. प्रो. अगम कुमार झा	Prof. Agam Kumar
4. श्री. समीर कुमार सिंह	Mr. Samir Kumar Singh
5. डॉ. मो. बाबर अली	Dr. Mohd Baber Ali
6. मो. मोहसिन	Mohd. Mohsin
7. डॉ. सुनील कुमार सिंह	Dr. Sunil Kumar Singh
8. डॉ. रुपेश कुमार	Dr. Rupesh Kumar
9. डॉ. प्रियंका झाझरिया	Dr. Priyanka Jhajhria
10. डॉ. विक्रम सिंह चौधरी	Dr. Vikram Singh Chaudhary
11. डॉ. मनोज कुमार	Dr. Manoj Kumar
12. डॉ. जय प्रकाश चौधरी	Dr. Jai Prakash Chaudhary
13. डॉ. भगत सिंह भाकुनी	Dr. Bhagat Singh Bhakuni
14. डॉ. अभिषेक वर्मा	Dr. Abhishek Verma
15. डॉ. ज्ञानेंद्र कृष्णा पाण्डेय	Dr. Gyanendra Krishana Pandey
16. श्री किर्ती कुमार	Mr. Kirtee Kumar
17. डॉ. अविनाश दीक्षित	Dr. Avinash Dixit
18. डॉ. अरुण कान्त	Dr. Arun Kant
19. डॉ. विनोद कुमार (प्रयास प्रिथिनिधि)	Dr. Vinod Kumar (Prayas Representative)
20. प्रो. पुष्पेंदर कुमार (संम्पर्क अधिकारी)	Prof. Pushpender Kumar (Liaison Officer)

छात्रावास स्टाफ़	Hostel Staff
1. श्री हीरा सिंह चौहान	Mr. Hira Singh Chauhan
2. श्री बलवन्त सिंह	Mr. Balwant Singh
3. श्री त्रिलोक सिंह मनराल	Mr. Trilok Singh Manral
4. श्री जगमोहन सिंह मनराल	Mr. Jagmohan Singh Manral
5. श्री खीमानंद पाण्डेय	Mr. Khimanand Pandey
6. श्री जगदीश राम आर्य	Mr. Jagdish Ram Arya
7. श्री बॉबी सूद	Mr. Bobby Sood

दूरभाष : 8920847798

किरोड़ीमल महाविद्यालय छात्रावास
KIRORI MAL COLLEGE HOSTEL

सूचना पत्रिका
Handbook of Information

₹ 250/-